

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० ८९]

नई दिल्ली, स.सवार, मई १९, १९६९/वैशाख २९, १८९१

No. ८९]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 19, 1969/VAISAKHA 29, 1891

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATIONS

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 19th May 1969

G.S.R. 1233.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 2 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-section (3) of section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957), the Central Government being satisfied that the scarcity conditions due to recent famine in the State of Rajasthan are in the nature of a major calamity, hereby exempts cotton fabrics donated till 31st July, 1969, for relief work in that State from the whole of the duty of excise and the additional duty of excise, if any, leviable thereon and also the duty of excise on cotton yarn contents in respect of cotton fabrics:

Provides that--

- (a) it is certified by the manufacturer of such goods on the relevant clearance documents that the goods are intended to be donated for the relief of famine affected people in the said State without discrimination on grounds of religion, race or caste or any of them and distributed free and without making any charge therefor.
- (b) the goods are sent directly from the factory of manufacture to any officer or organisation specified in the Schedule hereto annexed, and

- (c) the manufacturer produces before the Central Excise Officer-in-Charge of his factory within two months of the date of removal of the goods from the factory or such extended period as the Collector may allow, a certificate from the officer or organisation specified in the said schedule (to whom the goods were consigned) that the goods have been received by such officer or organisation for famine relief work.

SCHEDULE

1. The Prime Minister's National Relief Fund, New Delhi.
2. The Rajasthan State Committee for Welfare Amenities and Voluntary Services, Chief Minister's Secretariat, Jaipur.
3. District Collectors/Deputy Commissioners in Rajasthan.

[No 150/69-CE-F. No. 23/34/68-CXII.]

S. P. KAMPANI, Jt. Secy.

द्वितीय संश्लेष

(राजस्व और वीमा विभाग)

अधिसूचना

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, 19 मई, 1969

सा० का० नि० 1234:—अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा 3 की उपधारा (3) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, अपना यह समाधान हो जाने पर कि राजस्थान राज्य में हाल के दुर्भिक्ष के कारण उत्पन्न हुई दुर्लभता की दशाएँ घोर विपत्ति स्वरूप हैं, उस राज्य में सहायता कार्य के लिए 31 जुलाई, 1969 तक संदान में दिये गये सूती वस्त्रों पर से, उन पर उदग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क और अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क, यदि कोई हो, और उन कपड़ों में जितना सूती धागा लगा है उस पर उत्पाद-शुल्क की, एतद्वारा, छूट देनी है :

परन्तु यह तब जब कि :—

- (क) ऐसे माल के विनिर्माता ने निकासी संबंधी सुसंगत दस्तावेजों के आधार पर यह प्रमाणित किया हो कि वह माल उस राज्य में दुर्भिक्ष पीड़ित लोगों के सहायार्थ धर्म, मूलवंश या जाति या इनमें से किसी के आधार पर भी विभेद किये बिना, संदान किये जाने के लिये तथा उसके लिये कोई प्रभार लिये बिना मुफ्त वितरित किये जाने के लिये आश्रित है;
- (ख) माल सीधे विनिर्माण-कारखाने से, एतदुपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी आफिसर या संगठन को भेजा गया है; और
- (ग) विनिर्माता, कारखाने से माल को हटाने की तारीख से दो मास के भीतर या बढाई गई ऐसी कालावधि के भीतर जिसे कलेक्टर अनुज्ञात करे, अपने कारखाने के केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क भारसाधक आफिसर के समक्ष, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट आफिसर

या संगठन का (जिसे माल प्रेषित किया गया है) इस आशय का एक प्रमाणपत्र पेश करे कि ऐसे आफिसर या संगठन ने वह माल दुर्भिक्ष सहायता कार्य के लिये प्राप्त किया है।

अनुसूची

1. प्रधान मन्त्री का राष्ट्रीय सहायता कोष, नई दिल्ली।
2. कल्याण सुख सुविधाएं और स्वेच्छया सेवाएं, राजस्थान राज्य समिति, मुख्यमंत्री का सचिवालय, जयपुर।
3. जिला कलेक्टर/उपप्रायुक्त, राजस्थान।

[मं० 150/69-का० सं० 23/34/68-के० उ०-2]

शान्ति प्रकाश कम्पानी,
संयुक्त सचिव।

